न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–1, चन्दौली।

विद्युत वाद संख्या : 150 सन् 2019

राज्य बनाम शकील।

मु.अप.सं. : 393 सन् 2016

धारा : 138(1–बी) विद्युत अधिनियम

थाना : मुगलसराय जनपद : चन्दौली।

आरोप

मैं, जगदीश प्रसाद–V, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, चन्दौली आप अभियुक्त शकील को निम्न आरोपों से आरोपित करता हूँ :–

यह कि दिनाँक 23.09.2019 के पूर्व किसी तिथि व समय पर ग्राम नाथूपुर, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली में उपभोक्ता शकील के विद्युत कनेक्शन का बकाया होने के कारण जाँच के समय कमर फारुख, उपखण्ड अधिकारी एवं विद्युत विभाग कर्मियों द्वारा कनेक्शन को विच्छेदित कर दिया गया था। पुनः दिनाँक उपरोक्त तिथि को किसी समय पर जाँच करने पर आपके द्वारा उक्त संयोजन के बकाया विद्युत बिल को बिना जमा किये व बिना विभागीय अनुमति के जोड़कर उपयोग करते हुए पाया गया। इस प्रकार आपका यह कृत्य धारा 138(1–बी) भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उक्त विरचित आरोप के अन्तर्गत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनाँक : 03.12.2021,

(जगदीश प्रसाद–V)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या–1, चन्दौली

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया गया। अभियुक्त ने आरोप सुनकर दोषी न होने का अभिवाक किया और विचारण की मांग की।

दिनाँक : 03.12.2021,

(जगदीश प्रसाद–V)
J.O.Code U.P. 5874
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या–1, चन्दौली।

Digitally signed by Jagdish Prasad
Date: 2021.12.03 16:11:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court